रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263960
CG-DL-E-18062025-263960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947
No. 353] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

## नागर विमानन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2025

**सा.का.नि. 396(अ).**—केंद्रीय सरकार भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 10, 11, 18, 20 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 34 की अपेक्षानुसार, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; तथा इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से इक्कीस दिन की अवधि के पश्चात विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, महानिदेशक, नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजे जा सकते हैं या dgoffice.dgca@nic.in पर मेल किए जा सकते हैं;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार** (1) इन नियमों को भारतीय वायुयान (निर्माणों और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 2025 कहा जा सकता है तथा ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

2. **परिभाषाएं एवं निर्वचन** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) अभिप्रेत है।

(ख) "निर्माण" के अंतर्गत किसी विमान क्षेत्र के आस-पास विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर परिनिर्मित कोई संरचना, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, होगी।

(ग) "जिला कलक्टर" के अंतर्गत उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य पदनाम, जिसका प्रयोग राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के भारसाधक अधिकारी के लिए किया जाता है, होगा।

(घ) "महानिदेशक" से अभिप्रेत महानिदेशक (नागर विमानन) हैं।

(ड) "स्वामी" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका, यथास्थिति, निर्माण या वृक्ष पर नियंत्रण हो।

(च) "विमानक्षेत्र के प्रभारी अधिकारी" से अभिप्रेत हवाई अड्डे का प्रभारी अधिकारी, जो भी पदनाम ज्ञात हो, होगा।

(2) इसमें प्रयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्ति किन्तु परिभाषित नहीं किए गए और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिए गए हैं।

3. **स्वामी को अधिसूचना की तामील और उल्लंघन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना** - (1) जहां अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गई है और संबंधित विमानक्षेत्र के प्रभारी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी निर्माण या वृक्ष की मौजूदगी से उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह उक्त अधिनियम की उप-धारा (3) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जैसा भी मामला हो, अधिसूचना की एक प्रति भवन या वृक्ष के स्वामी को तामील कराएगा।

(2) संबंधित विमानक्षेत्र का प्रभारी अधिकारी इस तरह के उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत महानिदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को भेजेगा।";

4. **विवरण जमा कराने के लिए आदेश** - (1) जहां, महानिदेशक, या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो वह, एक लिखित आदेश द्वारा, ऐसे निर्माण या वृक्ष के स्वामी को, आदेश प्राप्त होने के साठ दिनों की अवधि के भीतर, उस विमानक्षेत्र के प्रभारी अधिकारी के पास, जिसमें निर्माण, या वृक्ष की अवस्थिति दर्शाई गई हो, और उसकी लंबाई-चौड़ाई और उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा का खुलासा भी किया गया हो, प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

परंतु साठ दिनों की अवधि को उचित आधार प्रस्तुत करने पर महानिदेशक द्वारा अगले साठ दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) जहां, उप-नियम (1) के तहत एक आदेश जारी किया जाता है, स्वामी आदेश में यथा विनिर्दिष्ट सूचना, और ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

(3) स्वामी को उप-नियम (1) के तहत आदेश की तामील, अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (3) में यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।";

(4) यदि ब्यौरा साठ दिनों की अवधि के भीतर या महानिदेशक द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर उप-नियम (1) के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो, विमानक्षेत्र प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा को अंतिम माना जा सकता है

5. **ब्यौरों को अग्रेषित करना और उनकी अस्तित्व जांच** - (1) यथास्थिति, निमार्ण या वृक्ष के स्वामी द्वारा दिए गए ब्यौरों को विमान क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणियों सहित नागर विमानन महानिदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

(2) विमान क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी, महानिदेशक को ब्यौरे अग्रेषित करने से पहले ब्यौरों की सत्यता के बारे में स्वयं का समाधान करेगा और उस प्रयोजन के लिए वह दिन के समय और स्वामी को उचित पूर्व सूचना देकर प्रश्नगत परिसर में प्रवेश करने और यथास्थिति, निर्माण या वृक्ष की सीमाओं की अस्तित्व जांच करने के लिए सशक्त होगा, स्वामी ऐसी अस्तित्व जांच के दौरान पूर्ण सहयोग करने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा।

परन्तु किसी ऐसे मामले में, जिसमें स्वामी सहयोग करने में असफल हो जाता है, विमानक्षेत्र का भारसाधक अधिकारी महानिदेशक को जहां तक जाचं संभव हुई है उस पर आधारित अपनी टिप्पणियों सहित ब्यौरे अग्रेषित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**6. आदेश - (1)** यदि महानिदेशक या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, विमान क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसको अग्रेषित ब्यौरों की जांच करने पर और स्वामी को इस बारे में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत निर्माण या वृक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना के उपबंधों का अतिक्रमण करता हैं, तो वह इस विषय में स्वामी को यह निदेश देते हुए आदेश पारित करेगा कि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण को तोड़ डाले या वृक्ष को काट डाले या निर्माण या वृक्ष की ऊंचाई को कम कर दे, जैसा अधिसूचना में उपबंधों का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित हो। यथास्थिति निर्माण या वृक्षों की ऊंचाई में कमी करने के मामले में, अनुज्ञेय ऊंचाई भी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परन्तु ऐसे किसी मामले में, जहाँ स्वामी नियम 4 के तहत आदेश के उत्तर में ब्योरे देने में असफल हो गया है, महानिदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आदेश पारित करने के लिए सशक्त होगा जो विमान क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसको उपलब्ध कराई गई जानकारी या किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत पर आधारित होगा। इसके अलावा, "महानिदेशक या अधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 18 के तहत अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के तहत पारित आदेश अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (3) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विमान क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से स्वामी को तामिल किया जाएगा।

**7. आदेश के विरुद्ध अपील -**(1) कोई भी व्यक्ति, किसी अधिकारी द्वारा इन नियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश से व्यथित है तो भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार अपील कर सकता है;

(2) अपील, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से, सहायक दस्तावेजों तथा एक हजार रुपए के शुल्क के साथ, फार्म 'क' में प्रथम अपीलीय अधिकारी या द्वितीय अपीलीय अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को की जाएगी।

(3) ऐसा अपीलीय अधिकारी आवेदक से कोई भी जानकारी, रिकॉर्ड या कोई अन्य दस्तावेज मांग सकता है, यदि उसे अपील के लिए प्रासंगिक समझा जाए।

(4) अपीलीय अधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द करने के लिए, जैसा वह उचित समझे, तर्कपूर्ण आदेश पारित कर सकेगा।

(5) अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश की प्रति अपीलकर्ता को प्रदान की जाएगी।

**8. स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन किया जाना –** (1) स्वामी को नियम 6 के अंतर्गत पारित आदेश या नियम 7 के अंतर्गत पुष्ट या संशोधित आदेश में निहित निर्देशों का अनुपालन, जैसा भी मामला हो, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करना होगा।

(2) स्वामी, अधिनियम की धारा 22 में निहित प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का दावा कर सकता है।

(3) कोई भी स्वामी जो अधिनियम की धारा 18 के तहत अधिसूचना के लागू होने की तारीख के पश्चात अधिसूचना के प्रावधानों के गैर-अनुपालन में किसी भी संरचना का निर्माण या तामीर करता है, वह उप-नियम (2) के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

**9. अनुपालन के बारे में जिला कलक्टर को रिपोर्ट करना –** (1) यदि स्वामी, नियम 6 के अधीन पारित या नियम 7 के अधीन पुष्ट या संशोधित आदेश में अंतर्विष्ट निदेशों का पालन करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, विमान क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी इस बात की रिपोर्ट मामले के संक्षिप्त तथ्य और नियम 6 के अधीन पारित या नियम 7 के अधीन पुष्ट या संशोधित आदेश की प्रति देते हुए, जिला कलेक्टर को करेगा।

(2) जिला कलक्टर, विमान क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर, यथास्थिति निर्माण को तोड़ डालने या वृक्ष को काट डालने या निर्माण की ऊंचाई में कमी करने के लिए उसी रीति से और उसी प्रक्रिया द्वारा तुरंत कार्यवाही करेगा जिसका उसके जिले में किसी अप्राधिकृत संनिर्माण के तोड़ डालने के मामले में अनुसरण किया जाता है।

**10. शक्तियों का प्रत्यायोजन** - इन नियमों के अधीन महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियां अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

**11. छूट देने की सामान्य शक्ति** - केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार इन नियमों के सभी या किसी उपबंध से छूट दे सकती है।

**12. निरसन और व्यावृत्तियां** - वायुयान (भवनों और वृक्षों आदि से उत्पन्न अवरोधों का विध्वंस) नियम, 1994 को निरस्त किया जाता है, सिवाय उन बातों के जो ऐसे निरसन से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, जिनमें कोई अधिसूचना, निरीक्षण या किया गया या जारी किया गया आदेश; दी गई अनुमति या छूट; या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज या लिखत; या जारी किया गया कोई निर्देश शामिल हैं; या इस प्रकार निरसित इन नियमों के अधीन की गई कोई कार्यवाही या लगाया गया कोई दंड, दण्ड, जब्ती या जुर्माना, जहां तक वह भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) के उपबंधों से असंगत नहीं है, प्रभावी नहीं होगा।

**फॉर्म क**

**(नियम 7 देखें)**

**अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील (प्रथम/द्वितीय) का फॉर्म**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अपीलकर्ता का नाम | |
| 2. | पता | |
| 3. | ई मेल | |
| 4. | दूरभाष | |
| 5. | प्रथम अपील/द्वितीय अपील | |
| 5. | दिनांक तथा आदेश संख्या जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है<br>(आदेश की प्रति संलग्न करें) | |
| 6. | उस अधिकारी का नाम और पद जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है | |
| 7. | नियमों का उल्लंघन जिसके लिए आदेश पारित किया गया | |
| 8. | आदेश का परिचालनात्मक भाग | |
| 9. | वह तारीख जिस दिन अपीलकर्ता को आदेश की प्रति प्राप्त हुई | |
| 10. | 30 दिन की सीमा अवधि पूरी होने की तिथि | |
| 11. | मामले के संक्षिप्त तथ्य | |
| 12. | अपील के आधार | |
| 13. | अपीलकर्ता की प्रार्थना | |
| 14. | शुल्क और लेनदेन विवरण | |
| 15. | अन्य विवरण, सहायक दस्तावेजों के साथ, यदि कोई हो | |

**सत्यापन**

मैं,----------,अपीलकर्ता, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

[फा. सं. एवी/11012/5/2025-डीजी]

शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2025

**G.S.R. 396(E).—** The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 10, 11, 18, 20 and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), is hereby published as required by section 34 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

**Draft Rules**

**1. Short Title and extent.** – (1) These rules may be called the Aircraft (Demolition of obstructions caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 2025 and shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) They extend to the whole of India.

**2. Definitions and Interpretation.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);

(b) "Building" shall include any structure, whether permanent or temporary, erected within a specified area around an aerodrome;

(c) "District Collector" shall include Deputy Commissioner, District Magistrate or any other designation used by any State Government for the Officer-in-Charge of the District Administration;

(d) "Director General" means Director General of Civil Aviation;

(e) "Owner" shall include the person having the control of the building or tree, as the case may be;

(f) "Officer-in-Charge of an Aerodrome" shall mean the officer holding charge of the airport by whatever designation known.

(2) The words and expressions used herein but not defined, and defined in the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024) shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

**3. Service of Notification on the owner and submission of report regarding violation**.— (1) Where any notification has been issued by the Central Government under sub-section (1) of section 18 of the Act and the officer-in-charge of the concerned aerodrome has reason to believe that any building or tree exists in violation of the provisions of the aforesaid notification, he shall serve a copy of the notification on the owner of the building or tree, as the case may be, in accordance with the procedure laid down in sub-section (3) of said section.

(2) The officer-in-charge of the concerned aerodrome shall forthwith send a report of such violation to the Director General, or any officer authorised by him in this behalf;

**4. Order to furnish details.** — (1) Where, a report under sub-rule (2) of rule 3 is received by the Director General, or any officer authorised by him in this behalf, he may, by a written order, direct the owner of such building, or tree, to furnish to the officer-in-charge of the aerodrome, within a period not exceeding sixty days of receipt of the order, a plan showing the location of building, or tree, and also disclosing the dimensions or any other details specified in the said order:

Provided that the period of sixty days may be extended by another sixty days by the Director General on submission of reasonable grounds.

(2) Where, an order is issued under sub-rule (1), the owner shall be bound to furnish the information, and such details, as specified in the order.

(3) An order under sub-rule (1) shall be served upon the owner in the manner as laid down in sub-section (3) of section 18 of the Act.

(4) In case the details are not submitted as per sub-rule (1) within the period of sixty days or within the period extended by the Director General, as the case may be, the details submitted by the Aerodrome Operator may be considered as final.

**5. Forwarding the details and their physical verification.-** (1) The details furnished by the owner of the building or tree, as the case may be, shall be forwarded by the officer-in-charge of the aerodrome to the Director General with his comments.

(2) Before forwarding the details to the Director General, the officer-in-charge of the aerodrome shall satisfy himself about the correctness of the details and for that purpose he shall be empowered to enter the premises in question and carry out physical verification of the dimensions of the building or tree, as the case may be, during day light hours and with reasonable prior notice to the owner, who shall be duty bound to extend full cooperation during such physical verification:

Provided that in a case where the owner fails to cooperate, the officer-in-charge of the aerodrome shall be free to forward details to the Director General with his comments based on whatever verification is possible.

**6. Order.** – (1) If the Director General, or any officer authorised by him in this behalf, on an examination of the details forwarded to him by the officer-in-charge of the aerodrome, is satisfied, after giving the owner an opportunity of being heard, that the building or tree in question does violate the provisions of the notification issued by the Central Government under sub-section (1) of section 18 of the Act, he may pass an order in the matter directing the owner to demolish the building, or to cut the tree, or to reduce the height of the building, or the tree, as may be required for compliance with the provisions of the notification, within a specified period. In case of reduction in the height of the building, or tree, as the case may be, the permissible height shall also be specified in the order:

Provided that in a case where the owner has failed to furnish details in response to the order under rule 4, Director General, or any officer authorized by him in this behalf shall be empowered to pass an order based on information made available to him by the officer-in-charge of the aerodrome, or any other reliable source. Further, the "Director General or authorized officer, as the case may be, may issue directions for carrying out survey/study if necessary to do so as per the provisions notified under section 18 of the Act.

(2) The order passed under sub-rule (1) shall be served on the owner through the officer-in-charge of the aerodrome, in accordance with the procedure laid down in sub-section (3) of section 18 of the Act.

**7. Appeal against the order.** – (1) Any person, aggrieved by an order passed by an officer in exercise of the powers conferred on him by these rules, may prefer appeals in accordance with the provisions of the section 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);

(2) An appeal shall be made to the First Appellate Officer or Second Appellate Officer, as the case may be, in the Form A along with the supporting documents and fee of one thousand rupees in the manner as specified by the Director General.

(3) Such Appellate Officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the appeal.

(4) The appellate officer may, after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass a speaking order, as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appellate against.

(5) The copy of appellate order passed by appellate officer shall be provided to the appellant.

**8. Owner to comply with order.** – (1) The owner shall comply with the directions contained in the order passed under rule 6 or confirmed or modified under rule 7, as the case may be, within a period of sixty days from the date of such order.

(2) The owner may claim compensation in accordance with the provisions contained in section 22 of the Act.

(3) Any owner who, after the date of coming into force of the notification under section 18 of the Act, constructs, or erects any structure in non-compliance of the provisions of the notification shall not be eligible to claim compensation under sub-rule (2).”

**9. Non-compliance to be reported to the District Collector.**– (1) If the owner fails to carry out the directions contained in the order passed under rule 6 or confirmed or modified under rule 7, as the case may be, within a period of sixty days from the date of such order, the officer-in-charge of the aerodrome shall report the matter to the District Collector giving brief facts of the case and a copy of the order passed under rule 6 or confirmed or modified under rule 7, as the case may be.

(2) On receiving the report from the officer-in-charge of the aerodrome, the District Collector shall carry out forthwith the demolition of the building or the cutting of the tree or reduction in height of the building, as the case may be, in the same manner and by the same procedure as is followed in case of demolition of any unauthorized construction in his district.

**10. Delegation of power. —** The powers exercisable by the Director General under these rules may also be exercisable by any other officer specifically empowered in this behalf by the Central Government, in accordance with the provisions of sub-section *(4)* of section 3 of the Act.

**11. General Power to exempt. —** The Central Government may exempt from all or any of the provisions of these rules in accordance with the provisions of section 20 of the Act.

**12. Repeal and Savings. —** The Aircraft (Demolition of obstructions caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994 stand repealed, except as respects things done or omitted to be done before such repeal including any notification, inspection or order made or issued; permission or exemption granted; or any document or instrument executed; or any direction issued; or any proceedings taken or any penalty, punishment, forfeiture or fine imposed under these rules so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024).

**FORM A**

***(See rule 7)***

**Form of appeal (First/Second) to the Appellate Officer**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name(s) of the Appellant | |
| 2. | Address | |
| 3. | Email Address | |
| 4. | Phone No. | |
| 5. | First Appeal/ Second Appeal | |
| 5. | Order No. with Date, against which the appeal is preferred<br>( copy of the order to be enclosed) | |
| 6. | Name and Post of the Officer by whom the order is passed | |
| 7. | Contravention of rules for which order was passed | |
| 8. | Operative part of order | |
| 9. | Date on which the copy of order received by the appellant | |
| 10. | Date of completion of 30 days Limitation period | |
| 11. | Brief facts of the case | |
| 12. | Grounds of Appeal | |
| 13. | Prayer of the Appellant | |
| 14. | Fee and transaction details | |
| 15. | Other details with supporting documents, if any | |

**Verification**

I_____, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Appellant

Date:

Place:

[F. No. AV-11012/5/2025-DG]

SHOBHIT GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.06.18 22:57:21 +05'30'